

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14015/22/2013-अ.भा.से.(1)-ख

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली,

१५ दिसंबर, 2013

### अधिसूचना

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इसके दिनांक 02.12.2013 के पत्र सं. फा.सं. 6/20/2013-अ.भा.से. द्वारा चयन सूची 2012 के लिए निम्नलिखित नाम "बिना शर्त" शामिल किए जाने पर और नीचे दिए गए व्यौरे के अनुसार जो दिनांक 25.10.2013 को इस विभाग की अधिसूचना सं. 14015/22/2013-अ.भा.से.-क द्वारा अधिसूचित किया गया था और भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2012 के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श से उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश संवर्ग आवंटित करते हैं:

### 2012 की चयन सूची

चयन सूची में क्र. सं.	अधिकारी का नाम (संक्षी)
39.	अरविंद कुमार सिंह

2. उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी की नियुक्ति इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

  
(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)